सुधा दुग्ध जन्य एवं अन्य उत्पादों के डिस्ट्रीब्युटरशीप हेतु निविदा प्रपत्र

..(आवेदक द्वारा ऑफलाईन माध्यम से पूर्ण विवरणी के साथ भरा जाना चाहिए)/*

(हाल के पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो चिपकाँए)

1. आवेदित क्षेत्र का नाम व पथ संख्या : ....
....
....

(कृप्या उस आवेदित क्षेत्र व पथ संख्या का नाम लिखें जिसके डिस्ट्रीब्युटरशीप हेतु आवेदन दिया जा रहा है। वितरण क्षेत्र एवं पथ संख्या की सूची परिशिष्ठ "क" में संलग्न की गई है।)

2. फर्म का नाम (यदि हो) : ....

3. फर्म की स्थिति : ....

(व्यक्तिगत फर्म / साझेदारी फर्म / प्राईवेट लि0 कम्पनी / अन्य)

4. आवेदक का नाम : ....

5. आवेदक का पता

(क) वर्तमान पता : ....
....
....

(ख) स्थाई पता : ....
....
....

(कृपया क्रम संख्या 5 (क) एवं (ख) में उल्लेखित पते से संबंधित दस्तावेजों की यथा आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट आदि का स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

6. मोबाईल नम्बर : ....ई–मेल : ....

7. आवेदक का आधार कार्ड संख्या : ....
(कृपया आधार कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

8. पैन कार्ड नम्बर : ....
(कृपया पैन कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

9. जी.एस.टी नम्बर : ....
(कृपया जी.एस.टी नम्बर का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

10. एफ.एस.एस.ए.आई. नम्बर : ....
(कृपया जी.एस.टी नम्बर का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

11. शैक्षणिक योग्यता : ....
(कृपया प्रमाण पत्र कास्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

12. निविदा में आमंत्रण हेतु अग्रधन राशि :–
(आवेदनकर्ता निर्धारित अग्रधन की राशि रू0 50,000.00 का डिमांड ड्राफ्ट जो मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, गया के नाम पर निर्गत एवं भुगतेय गया जी , संलग्नित करें।)

डिमांड ड्राफ्ट की विवरणी :– बैंक का नामः– ....
शाखा का नामः– ....
ड्राफ्ट सं0 :– ....

13. निविदादाता का कार्य अनुभवः वर्ष :– ....माहः– ....
(निविदादाता एफ.एम.सी.जी. या समतुल्य उत्पादों के अनुभवों की विवरणी दर्ज करेंगें।)

14. वर्तमान में किया जा रहा समतुल्य कार्य की विवरणीः–

कम्पनी का नाम	कार्य शुरू करने का वर्ष	आवेदक का व्यवसाय से विगत तीन वित्तिय वर्ष का टर्न ओवर (करोड. में)		
		2022–23	2023–24	2024–25

15. व्यवसाय हेतु कार्यशील पूँजी की उपलब्धता : ....
(व्यवसाय हेतु न्यूनतम कार्यशील पूँजी रू0 2,00,000/– होनी चाहिए जो आवेदक के पास जमा हो, यथा– फिक्सड डिपोजिट या संबंधित बैंक द्वारा आवेदक के नाम से निर्गत बैंकर्स सर्टिफिकेट के रूप में दर्शित हो, की छाया प्रति संलग्नित करें।)

16. निविदादाता अपने फर्म के लेटर हेड अथवा साधारण पेज पर आवेदित क्षेत्र एवं पथ संख्या में सुधा उत्पादों के वितरण एवं बिक्री की अनुमानित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य योजना का उल्लेख करते हुए निविदा पत्र के साथ अवश्य संलग्न करेंगें।

17. वर्तमान में निविदादाता के पास उपलब्ध आधारभूत संरचना की विवरणीः–
    1. कार्यालय के लिए उपलब्ध स्थान (वर्ग फीट में) :– ....
    2. गोदाम के लिए उपलब्ध स्थान (वर्ग फीट में) :– ....
    3. कोल्ड स्टोरेज/डीपफ्रीजर की संख्या व क्षमता :– ....
    ....
    ....
    4. कुल कर्मचारियों की संख्या :– ....
    ....
    ....
    (कार्यालय स्टाफ, कम्पयुटर ऑपरेटरों, माल बिक्री एवं डिलीवरी हेतु सहित)
    5. कार्यरत कम्पयुटरों की कुल संख्या :– ....
    6. व्यवसायिक गतिविधियों में शामिल वाहनों की कुल संख्या एवं उनके प्रकार :–
    वाहनों की कुल संख्याः– ....

वाहनों के प्रकार :– ....

....

वाहन पाँच वर्षो से कम अवधि की रहने पर प्राथमिकता दी जायेगी

वाहन स्वयं की है या अनुबंधित(विवरणी दें) :– ....

वाहन की मॉडल संख्या एवं पंजीयन संख्या (विवरणी दें) :– ....

....

वाहन की भार क्षमता (विवरणी दें) :– ....

वाहन छः तरफ से इन्सुलेटेड है या नहीं(विवरणी दें) :– ....

(वाहनों का इन्सुलेशन न्युनतम 40 एम.एम. मोटा थर्माकोल अथवा 1.60 इंच मोटा पफ मेटेरियल युक्त अवश्य होना चाहिए ।)

वाहन में रेफ्रिजरेटेड इकाई लगा है या नहीं(विवरणी दें) :– ....

<u>नोटः</u>

- सुधा डिस्ट्रीब्युटरशीप हेतु आवेदन करने से पहले निविदादाता/आवेदक निविदा दस्तावेज को ध्यानपूर्वक पढ, समझ लें।

- निविदादाता को सभी अनिवार्य शर्तों को पुरा करना होगा। अगले दौर की चयन प्रक्रिया हेतु पात्रता पर विचार करने के लिए आवेदक आवश्यक जानकारी ठीक से भरें तथा उल्लेखित आवश्यक दस्तावेजों को निविदा प्रपत्र के साथ जमा करेंगें।

- सफल उम्मीदवारों को कार्य के आवंटन से पहले FSSAI License प्राप्त कर कार्यालय में जमा करना होगा।

- निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त हुए निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं निविदा नहीं खोला जायेगा।

<u>स्वप्रमाणित घोषणा पत्र</u>

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि निविदा प्रपत्र एवं संलग्नित दस्तावेज में दी गयी जानकारी मेरे व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास में पूर्णतया सत्य है तथा इसमें कुछ भी छिपाया गया नहीं है। मैं इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी समय मिथ्या/गलत पाया जाता है तो मेरे द्वारा दिये गये निविदा आवेदन को रद्द माना जायेगा। मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाओं एवं दस्तावेजों को मूल के साथ सत्यापित किया जा सकता है तथा इसके लिए मैं उत्तरदायी होऊँगा/होऊँगी।

निविदादाता का हस्ताक्षर

दिनांक : ....

स्थान : ....

<u>निविदादाता हेतु आवश्यक जानकारियाँ, दिशा निर्देश एवं निविदा की नियम व शर्तें</u>

1. निविदादाता निविदा भरने की संबंधित जानकारी, दिशा निर्देश, निविदा के नियम व शर्ते को ध्यानपूर्वक पढकर समझ लेंगें।

2. सुधा जन्य उत्पादों दही, पनीर, लस्सी, रसगुल्ला, पेड़ा व अन्य मिठाईयों के साथ–साथ अन्य उत्पादों के डिस्ट्रीब्युटरशीप हेतु खुली निविदा का विज्ञापन प्रकाशन, आमंत्रण व आवंटन की प्रक्रिया मगध दुग्ध संघ, गया द्वारा संपादित की जायेगी।

3. डिस्ट्रीब्युटरशीप हेतु निविदा की सूचना का व्यापक प्रचार–प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से किया जायेगा एवं निविदा प्रपत्र संघ के वेबसाईट www.magadhmilkunion.in पर उपलब्ध रहेगा। आवेदन पत्र Offline द्वारा एकल निविदा प्रणाली माध्यम से किया जायेगा।

4. इच्छुक निविदादाता विहित प्रपत्र में आवेदन दे सकते हैं। वैसे निविदादाता जिन्हें शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थें अथवा एफ.एम.सी.जी उत्पादों के वितरण/प्रबंधन के क्षेत्र में न्युनतम एक वर्ष का कार्य का अनुभव प्राप्त हों, को प्राथमिकता दी जायेगी।

5. विपणन क्षेत्र/रूट संख्या की सूची निविदा प्रपत्र में संलग्न है, निविदादाता एक से अधिक विपणन क्षेत्र/रूट संख्या हेतु अलग–अलग आवेदन दे सकते हैं, परन्तु सफल पाये जाने पर उन्हें कोई एक ही विपणन क्षेत्र/रूट संख्या का वितरक बनाया जा सकता है। आवेदक को प्रत्येक विपणन क्षेत्र/रूट संख्या हेतु अलग–अलग आवेदन के साथ विपणन क्षेत्र/रूट संख्या के अनुरूप अग्रधन राशि का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करें।

6. निविदादाता निविदा के फॉर्म को भर कर उसमें मांगी गई जानकारियों के ब्योरा एवं संबंधित सभी प्रमाण पत्रों को संलग्न करेंगें। निविदा को एक लिफाफा में सील बंद करते हुए उसे मगध दुग्ध संघ, गया के निम्न पते पर निर्धारित अवधि के अन्दर हाथों हाथ/कुरियर/डाक द्वारा अवश्य भेज देंगें।

7. आवेदक अपने लिफाफे पर "सुधा उत्पादों के वितरक हेतु निविदा" एवं "आवेदित क्षेत्र का नाम व पथ संख्या" के साथ–साथ आवेदक अपना का नाम, पता व मोबाईल/दूरभाष नं0 अवश्य लिखेंगें।

8. निर्धारित तिथि व समय के उपरांत प्राप्त हुए निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

9. सशर्त, तार, फैक्स, ई–मेल द्वारा भेजी गई निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

10. मगध दुग्ध संघ, गया को निविदा को संशोधित करने, आंशिक या पूर्णतः निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

11. निविदा खोलने की तिथि के दिन यदि अवकाश घोषित हो तो निविदा अवकाश के बाद के कार्यालय दिवस के दिन खोला जायेगा ।

12. निविदा के खुलने के समय निविदादाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि शामिल हो सकते है । अधिकृत प्रतिनिधि के शामिल होने की दशा में प्रतिनिधि को निविदादाता द्वारा निर्गत अधिकृत पत्र निविदा खोलने के समय जमा करना होगा ।

13. प्राप्त आवेदनों की प्रारंभिक जाँच/स्क्रूटनी संघ के द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी। स्क्रूटनी

किये गये आवेदनों को संघ के उच्च स्तरीय समिति के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा । उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में अंतिम निर्णय लेने हेतु प्रबंध निदेशक, मगध दुग्ध उत्पादक संघ, गया अधिकृत होंगें।

14. चयनित निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में दिए गए दस्तावेजों को सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज संघ के नामित पदाधिकारी या समिति को दिखाना होगा।

15. निविदादाताओं को वितरक हेतु अंतिम रूप से चयन साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा में शामिल होने मात्र से वितरक का चयन होना नहीं माना जा सकता है ।

16. अंतिम रूप से चयनित निविदादाता को संघ द्वारा औपबंधिक कार्यादेश Letter of Award (LOA) निर्गत किया जायेगा । चयनित निविदादाता को सुरक्षा राशि जमा करना, अनुबंध की प्रक्रिया एवं अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करना होगा ।

17. वितरक आवंटन का आदेश जारी होने एवं समझौते के निष्पादन के उपरांत भी यदि पात्रता मानदंड के संबंध में प्रस्तुत दावों/कागजातों के विपरित कोई विसंगतियाँ पाई जाती हैं तो इस स्थिति में डिस्ट्रीब्युटरशीप को रद्द करते हुए सुरक्षा राशि को जब्त कर ली जायेगी।

18. वितरक को संघ के साथ रू 1000/– के नन् ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा संपादित करना होगा। अनुबंध का प्रारूप संघ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

19. सुधा वितरक का आवंटन एवं संचालन की अवधि प्रथम बार में तीन वर्ष हेतु होगी । वितरक कार्य प्रारंभ करने के पश्चात निर्धारित तीन वर्ष की अवधि के अन्दर प्रत्येक वर्ष उनके कार्यो का मूल्यांकन किया जाएगा । कार्य मूल्यांकन एवं बिक्री आँकड़ों में संतोषजनक प्रदर्शन नहीं पाये जाने पर एकरारनामा निरस्त करते हुए डिस्ट्रीब्युटरशीप रद्द कर दिया जाएगा। तीन वर्ष के पश्चात, सफलतापूर्वक कार्य संचालन एवं बिक्री आँकड़ों के आधार पर प्रत्येक बार तीन वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकता है। आवंटन की गणना एकरारनामा संपादित होने की तिथि से मान्य होगी।

20. वितरक संघ के एजेन्ट के रूप में कार्य नहीं करेंगें। वितरक संबंधित संघ/इकाई के कर्मचारी या प्रतिनिधि के तौर पर भी स्वयं को स्थापित नहीं करेंगे और इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

21. वैसे निविदादाता जिन्हें शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थो अथवा एफ.एम.सी.जी उत्पादों के वितरण/प्रबंधन के क्षेत्र में न्युनतम एक वर्ष का कार्य के अनुभव प्राप्त है, को वितरक चयन में प्राथमिकता दी जायेगी। (निविदादाता कार्य अनुभव के सत्यापन हेतु दस्तावेज की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्नित करें)।

22. पात्रता मापदंड :–

22.1. शैक्षणिक योग्यता :– न्यूनतम मैट्रिक पास
(प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्नित करें)

22.2. उम्रः– निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक उम्र न्यूनतम–18 वर्ष
(मैट्रिक पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर उम्र की गणना की जायेगी)।

22.3. पैन कार्ड :– ....
(पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्नित करें)।

22.4. जी.एस.टी सर्टिफिकेटः– ....

(जी.एस.टी सर्टिफिकेट की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्नित करें)

22.5. आधार कार्ड संख्या :– ....

(पहचान के प्रमाण की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्नित करें)।

22.6. अग्रधन राशि :– निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ अग्रधन की राशि रू0 50,000.00 (पचास हजार) निर्धारित है डिमांड ड्राफ्ट मूल रूप में जो मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, गया के नाम से निर्गत एवं भुगतेय हो, संलग्न करना होगा। आवेदक को प्रत्येक विपणन क्षेत्र/रूट नं0 हेतु अग्रधन राशि का डिमांड ड्राफ्ट आवेदन के साथ अलग–अलग संलग्न करना अनिवार्य है ।

22.7. वित्तीय योग्यता :– व्यवसाय हेतु आवेदक के पास न्यूनतम राशि रू0 2,00,000/–(दो लाख) होनी चाहिए जो आवेदक के पास जमा हो, यथा– फिक्सड डिपोजिट, आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक के स्वयं के खाते में रू0 2,00,000/– की राशि जमा रहने का प्रमाण (passbook की प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति जिसमें आवेदक का नाम, पता, खाता सं0 दर्ज हो तथा संबंधित पृष्ठ जिसमें राशि जमा रहने का प्रमाण अंकित हो या संबंधित बैंक द्वारा आवेदक के नाम से निर्गत बैंकर्स सर्टिफिकेट के रूप में दर्शित हो, की छाया प्रति संलग्नित करें)

22.8. निविदादाता को रू0 1000.00 के नन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके या उनके फर्म को किसी भी संस्था (सरकारी/गैर सरकारी/अर्द्ध सरकारी) द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है एवं उनके उपर किसी तरह का अपराधिक मामला दर्ज नहीं है ।

23. पात्रता मानदंड के तहत् बिन्दु सं0 22.1 से 22.8 तक अनिवार्य सभी पात्रता मानदंड शर्तों को पुरा करना होगा। मानदंड शर्तो को पूरा नहीं करने पर आवेदक को असफल घोषित करते हुए उनका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा तथा सुधा डिस्ट्रीब्युटरशीप के आवंटन की प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

24. निविदादाता द्वारा अग्रधन की राशि संलग्न नही करने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

25. संघ को जमा की गयी अग्रधन की राशि एवं सुरक्षा राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

26. असफल निविदादाता को अग्रधन की राशि रू0 50,000/– वापस कर दी जायेगी जिस पर किसी तरह का ब्याज देय नहीं होगा।

27. निविदादाता के पास एफ.एस.एस.ए.आई सर्टिफिकेट होना आवश्यक है । यदि किसी निविदादाता के पास एफ.एस.एस.ए.आई सर्टिफिकेट निविदा भरते समय उपलब्ध न हो तो वैसे निविदादाता को वितरण कार्य प्रारंभ शुरू करने से पूर्व एफ.एस.एस.ए.आई सर्टिफिकेट प्राप्त कर उसकी स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संघ में जमा करना अनिवार्य होगा ।

28. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र में बताये गये आधारभूत संरचनाओं की जॉच व समीक्षा की जायेगी।

29. जॉच व समीक्षा के उपरांत ही औपबन्धिक Letter of Award(LOA) कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

30. सुरक्षा राशि जमा करने, एकरारनामा संपादित करने के पश्चात् औपबन्धिकLetter of Award(LOA) कार्यादेश के रूप में परिवर्तित हो जायेगा।

31. यदि कोई चयनित निविदादाता औपबन्धिक कार्यादेश Letter of Award(LOA) निर्गत होने के उपरांत कार्य करने से मना करते हैं तो ऐसी दशा में उनके द्वारा जमा की गयी अग्रधन की राशि रू0 50,000.00 (पचास हजार) जब्त कर ली जाएगी।

32. सुधा दुग्ध जन्य एवं अन्य उत्पादों का वितरक मार्जिन पूर्व निर्धारित है । इसके अतिरिक्त 50पैसे प्रति कि0 ग्रा0/ली0 भाड़ा देय होगा। वितरक मार्जिन में बदलाव किया जा सकता है, जो नियुक्त वितरको को मान्य होगा ।

33. निविदादाता के पास को व्यवसाय हेतु न्यूनतम राशि रू0 2,00,000/– होना अनिवार्य है (साक्ष्य हेतु दस्तावेज की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्नित करें)।

34. अंतिम रूप से चयनित निविदादाता को औपबन्धिक कार्यादेश Letter of Award(LOA) निर्गत होने के उपरांत 15 दिनों के अन्दर सुरक्षा राशि रू 1,00,000/– (एक लाख) का डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी मूल रूप में संघ के कार्यालय में जमा करना होगा। निविदादाता द्वारा निविदा के साथ संलग्न की गयी अग्रधन की राशि रू0 50,000.00 (पचास हजार) को सुरक्षा राशि को समायोजित कर ली जायेगी एवं शेष बचे रू0 50,000.00 (पचास हजार) चयनित निविदादाता को जमा करना होगा ।

35. चयनित निविदादाता को वितरण कार्य शुरू करने के पूर्व एकरारनामा संपादित करना अनिवार्य होगा । एकरारनामा का प्रारूप निविदा प्रपत्र संघ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

36. चयनित निविदादाता को आवंटित वितरण कार्य क्षेत्र के अंदर ही अपना कार्यालय/गोदाम रखना अनिवार्य होगा ।

37. निविदादाता एक से अधिक विपणन क्षेत्र/रूट संख्या हेतु आवेदन दे सकते है । एक से अधिक विपणन क्षेत्र/रूट संख्या में आवेदन करते समय निविदादाता को विपणन क्षेत्र/रूट संख्या निविदा प्रपत्र, अग्रधन की राशि एवं आवश्यक सभी कागजातों को प्रत्येक आवेदित क्षेत्र के अनुरूप अलग से संलग्न करने होंगें, परन्तु निविदादाता को अंतिम रूप से किसी एक विपणन क्षेत्र/रूट संख्या का वितरक ही बनाया जायेगा।

38. आश्यकता पड.ने पर संघ को अपने व्यापार हित में वितरण क्षेत्र/पथों में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित होगा। वितरक को दूसरे क्षेत्र मे अथवा अतिरिक्त रूट मे सुधा प्रोडक्ट आपूर्ति करने का आदेश दिया जा सकता है जो वितरक द्वारा मान्य होगा ।

39. निविदादाता को पैन नं0, जी.एस.टी नं0, आधार कार्ड, एफ.एस.एस.ए.आई की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा ।

40. निविदादाता के पास वितरक के कार्य संपादन हेतु उपलब्ध रेफ्रिजेरेटेड/ इन्सुलेटेड गाड़ियों की संख्या व उनकी क्षमता, कोल्ड स्टोरेज/डीपफ्रीजर की संख्या व उनकी क्षमता/कोल्ड रूम की क्षमता तथा अन्य आधारभूत आवश्यकतायें यथा कार्यालय व गोदाम हेतु उपलब्ध स्थान, विभिन्न कार्य हेतु मानव बल की संख्या, कम्प्युटर एवं कम्प्युटर ऑपरेटेरों की संख्या, सेल्समैन की संख्या आदि का विवरणी स्पष्ट रूप से आवेदन फॉर्म में दर्ज करना अनिवार्य होगा ।

41. दुग्ध जन्य उत्पाद का वितरण कार्य आवंटित होने पर सभी दुग्ध जन्य पदार्थ प्रतिदिन रेफ्रीजरेटेड/इन्सुलेटेड गाड़ी से जिसकी क्षमता 800–1200 किलो (बड़ा ऑटो अथवा टाटा ऐस/महिन्द्रा जियो या उसके समकक्ष गाड़ी) की होनी चाहिए जिसमें इन्सुलेटेड बॉक्स रख कर दही, पनीर, सुरभि, लस्सी, आदि बिक्रेताओं के बीच वितरण करना होगा । वाहनों का इन्सुलेशन न्युनतम 40 एम.एम मोटा थर्मोकोल अथवा 1.60 इंच मोटा पफ मेटेरियल युक्त अवश्य होना चाहिए।

42. यदि वैसे रिटेलरों तक जहाँ रेफ्रिजरेटेड/इन्सुलेटेड गाडियों से सुधा उत्पादों की डिलेवरी सम्भव न हो, आवश्यकता अनुरूप दो पहिया वाहनों से उत्पादों की डिलेवरी की जा सकती है परन्तु ऐसी परिस्थिति में प्रोडक्ट को आईस बॉक्स/ इन्सुलेटेड बॉक्स में रख कर ही डिलेवरी देना अनिवार्य होगा।

43. संघ द्वारा वितरक को सुधा उत्पाद डेयरी डॉक पर निर्धारित किये गये समय के अनुसार प्राप्त करना होगा। दुग्ध उत्पादों को वितरक के कार्यालय/गोदाम के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी दिया जा सकता है जो वितरक को मान्य होगा।

44. वितरक को सुधा ब्रांड के विभिन्न उत्पादों की विपणन क्षेत्रों में पहुँच बढ़ाने हेतु बिक्री लक्ष्य बाजार क्षमता को ध्यान रखते हुए संघ द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

45. वितरक को अपने सेल्सेमैन द्वारा अपने क्षेत्र के दुकानदारों से प्राप्त पूर्व मांग (प्री–ऑडर) के आधार पर उत्पादों की डिलेवरी करनी होगी।

46. वितरक को सुधा उत्पादों की अधिकतम रेंज रखनी होगी। किसी अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पाद या ब्रांड के उत्पादों को तब तक नहीं रखा जा सकता जब तक की उसे विशेष रूप से लिखित अनुमति नहीं दी जाती है। सुधा की उत्पादों में दही, पनीर, लस्सी, बटर, रसगुल्ला, पेड़ा व अन्य मिठाईयों के साथ–साथ सुधा के अन्य उत्पाद जिसमें सुधा के लॉग सेल्फ लाईफ प्रोडक्टस्, सुधा के प्रिमियम मिठाईयॉ, नमकीन, बिसकिट, घी, बोतल बंद पानी आदि की एक विस्तृत रेंज हो सकते है।

47. वितरक को अपने आवंटित क्षेत्र में अवस्थित डेकोरेटर्स/केटर्रस की सूची (पता सहित) संघ के कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी तथा आयोजनकर्ताओं से निरंतर सम्पर्क कर उन्हें प्रोडक्ट की आपूर्ति सुनिश्चित करना होगा।

48. वितरक द्वारा समुचित रूप से प्रोडक्ट्स का वितरण नहीं किए जाने तथा प्रोडक्ट्स की डिलीवरी स्वीकार नहीं किये जाने की स्थिति में सीधे तौर पर अथवा अन्य वितरक के माध्यम से आपके क्षेत्र में प्रोडक्ट का वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संघ स्वतंत्र होगी।

49. अपने क्षेत्र में अवस्थित सभी रिटेलरों से प्रतिदिन सम्पर्क करना अनिवार्य होगा। पूरे माह में रिटेलरों को कितने प्रोडक्ट एवं कितने मूल्य का आपूर्ति की गयी है, का रिटेलरवाईज विवरणी प्रत्येक माह का प्रथम सप्ताह में कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।

50. वितरक द्वारा सुधा उत्पादों का भुगतान संघ द्वारा बताये गये खाता संख्या में डिमांड देने के एक दिन पूर्व अग्रिम रूप में निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में भुगतान हेतु अन्य विकल्प का उपयोग किया जा सकता है, परन्तु उसमें हुए व्यय को वितरक द्वारा वहन किया जायेगा ।

51. वितरकों द्वारा प्रत्येक दिन 12 बजे दोपहर तक संघ के सॉफ्टवेयर में अगले दिन का डिमांड निश्चित रूप से देना होगा । निर्धारित अवधि के अन्दर उत्पादों की मांग एवं अग्रिम राशि प्राप्त नहीं होने पर आपूर्ति बाधित हो जायेगी, जिसके जिम्मेवारी वितरक स्वयं होंगें ।

52. प्रोडक्ट का डिमांड देने के पश्चात् उसकी आपूर्ति स्वीकार करने की जिम्मवारी वितरकों की होगी।

53. प्रोडक्ट के समुचित रख–रखाव में कमी तथा कोल्ड चेन नहीं मेन्टेन करने की स्थिति से प्रोडक्ट खराब होने पर उसका रिप्लेसमेन्ट नहीं किए जायेंगें।

54. एक्सपायरी डेट के अंदर यदि कोई प्रोडक्ट खराब हो जाते है, तो उसकी वापसी स्वीकार की जायेगी और संबंधित उत्पादित संघ को कार्यालय द्वारा भेज दिया जायेगा, परन्तु उत्पादित संघ द्वारा रिप्लेसमेंट संबंधी लिये गये निर्णय आपको मान्य होगा ।

55. डिमांड के विरूद्व यदि कोई प्रोडक्ट की आपूर्ति कम मात्रा में की जाती है तो उसके मूल्यों का समायोजन प्रोडक्ट आपूर्ति के विरूद्व किया जा सकता है ।

56. वितरक द्वारा प्रोडक्ट वितरण के लिए पर्याप्त संख्या में संघ द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप इन्सुलेटेड ऑटो रखना अनिवार्य होगा। वितरको को कम से कम चार की संख्या में डीप–फ्रीज (500 लीटर या उससे अधिक क्षमता के) या न्युनतम सौ वर्गफीट क्षेत्रफल का कोल्ड रूम (1 टन से लेकर 1.5 टन क्षमता का) रखना अनिवार्य होगा । आवश्यकतानुसार ऑटो तथा डीप–फ्रीज की संख्या आपको बढ़ानी होगी।

57. व्यवसाय से संबंधित सभी वैधानिक शर्तें पूरी करने की जिम्मेवारी वितरक की होगी । जी0एस0टी0 का भुगतान सेल्स टैक्स/संबंधित विभाग में नहीं करने की दशा में संघ यह राशि काटकर/समायोजित कर संबंधित विभाग को भुगतान करने के लिए स्वतंत्र होगा।

58. वितरक द्वारा रिटेलरों को निर्धारित दर पर ही सुधा उत्पादों की बिक्री करना होगा ।

59. माल परिवहन गाड़ियो पर कार्यरत चालक एवं लोडर हमेशा नीला रंग का पैंट एवं शर्ट, जिस पर सुधा का लोगो होगा, वितरक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा ।

60. वितरण कार्य प्रारम्भ होने से पहले संघ द्वारा वितरक द्वारा तैयार किये गये अथवा घोषित किये गये आधारभूत संरचना यथा–इन्सुलेटेड गाड़ियाँ, डीप फ्रीजर की संख्या व उनकी स्थिति, कोल्ड रूम की संख्या व स्थिति, उपलब्ध मानवबल की संख्या, सेल्समैन की संख्या, कम्प्युटर की संख्या व स्थिति, गोदाम व कार्यालय की स्थिति की जाँच की जा सकती है। जाँचोपरान्त उसमें बदलाव व सुधार हेतु बताये गये बिन्दुओं पर चयनित वितरकों द्वारा आवश्यक कार्यवाही करना अनिवार्य होगा।

61. प्रत्येक छः माह के अन्तराल पर वितरक के वितरण में प्रयुक्त वाहन का संघ के द्वारा दिए गए डिजाइन के अनुसार पेंटिंग कराया जाएगा। वाहन के पेंटिंग के पश्चात् वाहन के जॉच हेतु वाहन से संबंधित सभी आवश्यक कागजात की प्रति के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करेंगें । पेन्टीग पर होने वाला व्यय वितरक द्वारा वहन किया जायेगा ।

62. संघ के अधिकारी एवं पदाधिकारी वितरक द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले वाहनों की जॉच, वाहनों से संबंधित कागजातों की जॉच, कार्यालयों एवं गोदामों में वितरण हेतु प्रयोग में लाये जा रहें आधारभूत संरचना की जॉच के अतिरिक्त वितरण संबंधी स्टॉक रजिस्टर, डिस्पैच रजिस्टर एवं खातों की जॉच कर सकते है। इन सभी की जॉच कराने से वितरक द्वारा इनकार नहीं किया जा सकता है ।

63. वितरक द्वारा अपने आवंटित क्षेत्र में ही सुधा उत्पादों का वितरण करना होगा । वितरक द्वारा किसी अन्य वितरक के आवंटित क्षेत्र के रिटेलरों को सुधा उत्पादों की आपूर्ति नहीं की जायेगी । यदि किसी वितरक द्वारा अन्य वितरक के क्षेत्रों में सुधा उत्पादों की आपूर्ति करते हुए पाया जाता है तो दोषी वितरक को चेतावनी पत्र या जुर्माना या दोनों लगाया जायेगा । प्रथम बार में जुर्माने की न्युनतम राशि रूपये पाँच हजार, दुसरी बार में जुर्माने की राशि न्युनतम रूपये दस हजार तक होगी। चेतावनी पत्र जारी करने अथवा जुर्माना लगाने के बाद भी यदि कार्य में सुधार नहीं पाया जाता है तो उनका डिस्ट्रीब्युटरशीप रद्द कर दिया जायेगा । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कारणों से सुरक्षित राशि को जब्त करते हुए कार्य समाप्ति के साथ–साथ अनुबंध/एकरारनामा समाप्त किया जा सकता हैः–

(क) वितरक का बिक्री प्रदर्शन अच्छा नहीं रहने पर ।

(ख) यदि वितरक द्वारा सुधा के वितरण हेतु सूचीबद्ध उत्पादों के अतिरिक्त अन्य उत्पादों की बिक्री करते हुए पाया जाता है।

(ग) यदि वितरक द्वारा रिटेलरों/संघ के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए पाया जाता है।

(घ) यदि वितरकशीप को उप–पट्टे पर देते हुए पाया जाता है।

(ड़) यदि वितरक द्वारा सुधा उत्पादों हेतु निर्धारित रिटेलर दर से अधिक दर पर बिक्री करते हुए पाया जाता है।

(च) यदि आवंटित क्षेत्र में सुधा उत्पादों का वितरण द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के बंद पाया जाता है।

(छ) यदि वितरक द्वारा संघ के अनुमति के बगैर किसी दुसरे वितरक के क्षेत्र में उत्पादों की बिक्री करते हुए पाया जाता है।

64. वितरक द्वारा डिस्ट्रीब्युटरशीप सरेंडर करने की स्थिति में संघ को तीन महीने की नोटिस अवधि देनी होगी। संघ को डिस्ट्रीब्युटरशीप समाप्त करने हेतु भी डिस्ट्रीब्युटर को तीन महीने पूर्व नोटिस देना होगा । परन्तु विशेष परिस्थिति में संघ वितरक के साथ हुए समझौते को नोटिस अवधि दिये बिना तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि संघ या उसके इकाई को ज्ञात होता है कि वितरक द्वारा इकाई/संघ, सुधा ब्राण्ड या ग्राहकों अथवा रिटेलरों के हित के विरूद्ध कोई कार्य किया जा रहा है, जिससे इकाई/संघ या सुधा ब्राण्ड की छवि खराब हो रही है।

65. अगर वितरक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के डिस्ट्रीब्युटरशीप का कार्य बंद कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में वितरक द्वारा जमा की गयी जमानत की राशि को संघ द्वारा जब्त कर ली जायेगी ।

66. डिस्ट्रीब्युटरशीप समाप्ति की दशा में संघ द्वारा वितरक को दिये गये सभी सम्पतियों यथा डीपफ्रीजर, इन्सुलेटेड बॉक्स आदि को वापस करना होगा । वितरक द्वारा इन सम्पतियों को वापस नहीं किये जाने पर वितरक से उसकी क्षतिपुर्ति जमा की गयी सुरक्षा राशि से कटौती कर की जायेगी।

<u>अप्रत्याशित घटना (Force Majeure) :</u>

(क) अप्रत्याशित घटना(Force Majeure) के उत्पन्न होने की दशा में आपके द्वारा संबंधित संघ के वस्तु स्थिति की लिखित जानकारी देनी होगी । ऐसा नहीं करने पर संघ द्वारा डिस्ट्रीब्युटरशीप हेतु दिये गये कार्यादेश/संपादित किये गये एकरारनामा के आलोक में डिस्ट्रीब्युटरशीप सुचारू संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये जा सकते हैं।

(ख) इस धारा/उपबंध/खण्ड ''अप्रत्याशित घटना'' (Force Majeure) को शामिल करने का

उद्देश्य वैसी घटनाओं, परिस्थितियों में डिस्ट्रीब्युटरशीप के सुचारू संचालन से है, जो वितरक या संघ के नियंत्रण से बाहर है एवं उसमें वितरक या संघ की लापरवाही या भूमिका शामिल नहीं है । हड़ताल, दुर्घटना, आगलगी, बाढ़, आँधी–तुफान, भुकम्प, माहामारी अथवा शासन के आदेश या घोषणा के अनुपालनार्थ या वैसी परिस्थिति जो संबंधित सभी पक्षों के नियंत्रण में न हो, को शामिल करना है।

67. किसी भी विवाद की स्थिति में संबंधित सभी पक्षों द्वारा आपस में बातचीत के माध्यम से विवाद को सुलझाया जायेगा। बातचीत से समाधान नहीं होने की दशा में विवाद का निपटारा मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम–1996 (Arbitration & Conciliation Act-1996) में निहित प्रावधानों के अनुरूप होगा। कानूनी मामलों की दशा में न्यायिक क्षेत्र गया होगा।

निविदाता का हस्ताक्षर

परिशिष्ट 'क'

क्रम सं0	विपणन पथ का नाम	विपणन क्षेत्र
1.	गया–1 डेल्हा एवं चंदौती एरिया	कुतुबधनी बगीचा, डेल्हा, खरखुरा, करीमगंज, अलीगंज, अम्बेदकर चौक, इस्लामगंज, कटारी–पेट्रोल पंप, चंदौती, मुस्तफाबाद, ए0पी0 कॉलोनी, आशा सिन्हा मोड़, चाणक्यपुरी कॉलोनी, अशोक नगर
2.	गया–2 मानपुर	मुफस्सिल मोड़, मानपुर ब्लॉक, शिखर मोड़, पटवा टोली, जनकपुर, लक्खीबाग, एवं आस–पास के क्षेत्र
3.	गया–3	गांधी मैदान, फायर बिग्रेड, बैरागी, बाटा मोड़, गुमटी–दिग्घी, जिला स्कूल, केदारनाथ, कोतवाली
4.	गया–4	विष्णुपद एरिया, केन्दुई, पंत नगर, शास्त्री नगर, रामपुर, गया कॉलेज, जेल प्रेस, गेवाल विगहा, मुन्नी मस्जिद, चाँद–चौरा, विष्णुपद, मंगलागौरी, मिर्जा गालिब, मेडिकल मगध कॉलोनी, घुटिया, गेटनं0–4
5.	गया–5	बोधगया, बिर्पाड, मगध विश्वविद्यालय, टेकना फार्म, बी0एम0पी0, डुबल, एयरपोर्ट एरिया, बकरौर, सुजाता रोड, दोमुहान एरिया